मध्य प्रदेश में जाँच के लिये CBI को लिखित सहमति की ज़रूरत

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)]() को अपने "**लोक सेवकों**" **के खिलाफ जाँच** शुरू करने के लिये **लिखित अनुमति** की आवश्यकता होगी।

मुख्य बिंदु:

- **केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों** की जाँच के लिये किसी अनुमति की **आवश्यकता नहीं** होगी।
- [भारतीय न्याय संहिता]() (नए आपराधिक कानून) के सुचारु संचालन के लिये लागू होने के बाद यह प्रावधान जारी किया गया है।
    - **पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और केरल** जैसे राज्यों ने CBI जाँच के लिये अपनी **सामान्य सहमति वापस** ले ली है

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)

- CBI की **स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया,** जो वर्तमान में एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
- इसकी स्थापना की **सिफारिश** भ्रष्टाचार निवारण पर [संथानम समिति]() द्वारा की गई थी।
- सीबीआई [दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (Delhi Special Police Establishment- DSPE) अधिनियम, 1946]() के तहत काम करती है। **यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है।**
- यह **रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध और बहु-एजेंसी** अथवा अंतर्राष्ट्रीय मामलों **से संबंधित मामलों** की जाँच करता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध ज़ुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप ज़ुर्माना)
- **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार परइसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

Drishti IAS

//